न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री//222/2004/चित्तौडगढ

श्री हजारी लाल पिता चम्पा जी गोद पुत्र श्री चूना जी गुरू गर्ग निवासी मोरवन तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ

अपीलान्ट

बनाम

1.श्री मांगी लाल पिता चम्पा जी गुरू निवासी मोरवन तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ
2.तहसीलदार डूंगला जिला चित्तौडगढ

रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री मोहन लाल नेहरा सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित
श्री जगदम्बा प्रसाद अभिभाषक अपीलार्थी
विपक्षी बाबजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 7-11-03 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी हजारी ने उपखण्ड अधिकारी बडी सादडी के न्यायालय में अधिनियम की धारा 53,183,188 के तहत वाद पेश कर कथन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी कित 6 कुल रकबा 5बीघा 17 विस्वा मौजा मोरवन में स्थित है।

जिसमें वादी का 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या1 का 1/2 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जबरन सभी आराजी पर कब्जा करना चाहता है अतः विभाजन कराया जाकर वादी का खाता अलग कायम किया जावे। प्रतिवादी ने प्रतिवाद पत्र के साथ काउण्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि भूमि पूर्व में चम्पा पिता हंसराज के खातेदारी की थी जो वादी व प्रतिवादी के पिता हैं। इसके साथ ही आराजी खसरा नम्बर 369 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा, 386 रकबा 2 बीघा 7 विस्वा,394 रकबा 1बीघा 7 विस्वा,472 रकबा 7 विस्वा, 473 रकबा 15विस्वा, 1328 रकबा 10विस्वा,2469/1375 रकबा 3 विस्वा चूनिया पिता हंसराज के खातेदारी की थी। चूनिया व चम्पा दोनों सगे भाई थे। इन दोनों का उत्तराधिकारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 है। चूनिया के कोई जाइन्दा लडका लडकी नहीं है। इसलिये उक्त आराजी व चूनिया की आराजी को शामिल करते हुये वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने वाहमी विभाजन कर काबिज चले आ रहे हैं। वादी ने चूनिया की भूमि को अलग रखकर विभाजन का वाद पेश किया है। दोनों भूमि को मिलाकर बराबर विभाजन में प्रतिवादी को आपति नहीं है। अतः वाद पत्र खारिज किया जाकर काउण्टर क्लेम वाली भूमि शामिल कर प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी की घोषित की जावे। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर दोनों भूमियों को शामिल कर विभाजन का आदेश दिनांक 28-7-01 को पारित किया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के न्यायालय में अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 7-11-03 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुये दोनों खातों की भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2-1/2 हिस्से का खातेदार मानकर बटवारा करने की प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की बहस अपील पर सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्राकृतिक पिता के निधन के पश्चात चूना जी की मृत्यु हुई। जब अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या1 के पिता की मृत्यु हुई उस समय विरासत से चम्पा जी द्वारा छोडी गई आराजी पर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 उत्तराधिकारी हुये तथा जैसे ही चम्पा जी की मृत्यु हुई चम्पा जी की आराजी पर अपीलार्थी को विरासत से 1/2हक प्राप्त हो गया। उसके अनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन हो गया। तत्पश्चात चूना जी की मृत्यु हुई। चूना जी की मृत्यु के समय उनकी पत्नी के नाम पर नामान्तरकरण खुला। तत्पश्चात अपीलार्थी जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने काका चूना जी की पगडी बांधी और कस्टम के आधार पर उनका दत्तक पुत्र हुआ। इस कारण चूना जी की सम्पति का तो इस प्रकरण में कोई विवाद ही नहीं था। इस महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने नहीं समझ कर विधिक भूल की है। उनका तर्क है कि हजारी लाल को पिता की मृत्यु पर नैसर्गिक पिता की विरासत मिलने के पश्चात यदि वह गोद जाता है तो दोनों ही जगज की जायदाद प्राप्त करने का वह अधिकारी है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर वादी का वाद डिक्री किया जावे।

5. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने तनकी न1,2,3 अपीलार्थी वादी के विरूद्ध निर्णित की है तथा तनकी संख्या 4 प्रत्यर्थी के पक्ष में व वादी के विरूद्ध निर्णित की है। इसके विपरीत वाद में अंकित भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा मानकर बटवारा करने का भी निर्णय पारित किया है। वास्तव में तनकी संख्या 1 से 3 वादी के पक्ष में निर्णित होनी चाहिये थी तथा तनकी संख्या 4 प्रतिवादी के हक में निर्णित होनी चाहिये थी। तभी विचारण न्यायालय द्वारा जो दादरसी प्रदान की गई है वह सही ठहरती है। तनकी संख्या 1 आया वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में वादी व प्रतिवादी

का1/2–1/2हिस्सा होकर इसी अनुसार घोषणा कराने के अधिकारी हैं। तनकी संख्या 4 कि आया प्रतिवादी काउण्टर क्लेम की चरण संख्या1 में वर्णित अनुसार वादग्रस्त आराजी की घोषणा करा बटवारा बाई मीटस एण्ड वाउण्डस कराने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी के काउण्टर क्लेम को स्वीकार कर वादी एवं प्रतिवादी के मध्य दोनों खातों की आराजी को शामिल करते हुये बटवारा कराने का आदेश दिया है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या 1से 3 वादी के हक में व तनकी संख्या 4 प्रत्यर्थी प्रतिवादी के हक में निर्णित करने का संशोधित निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जहां तक अपीलार्थी वादी हजारी के चूना का गोद पुत्र होने का प्रश्न है, गोद के बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है न ही अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत की गई है। यदि वह अपने आप को चूना का गोद पुत्र मानता है तो इसके लिये वह सक्षम सिविल न्यायालय से घोषणा कराने के लिये स्वतंत्र है। दस्तावेंजी साक्ष्य के अभाव में मात्र पगडी बंधने से उसे चूना का गोद पुत्र नहीं माना जा सकता है। इसलिये हम प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

7. उपरोक्त विवेचन विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य